39

संख्या–1332/XVIII-(2)/2016-15(15)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, देहरादून :दिनांक 02 जून मई, 2016

विषयः– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA), चम्पावत को सुदृढ़ कर पी.आई.यू. के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2013 में आयी आपदा के उपरान्त जनपद चम्पावत में एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तराखण्ड इमरजेंसी एसिस्टेंट प्रोजेक्ट (UEAP) के अंतर्गत पूर्णागिरी ट्रैक रूट के पुनर्निर्माण/सुधारीकरण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु जनपद में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) चम्पावत के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई (P.I.U.) गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्तानुसार गठित पी.आई.यू. द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

1) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) चम्पावत पूर्णागिरी ट्रैक रूट के पुनर्निर्माण/सुधारीकरण कार्यो हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिसका सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा। पी.आई.यू. के संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर शासन के निर्देशानुसार अन्य पुनर्निर्माण कार्यो का सम्पादन भी किया जायेगा।
2) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) चम्पावत के अंतर्गत पूर्णागिरी ट्रैक रूट के पुनर्निर्माण/सुधारीकरण हेतु 3.00 लम्बाई तक के समस्त आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्निर्माण कार्यो को सम्पादित किया जायेगा।
3) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) के अधीन एक सिविल कार्य इकाई कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। सिविल कार्य इकाई हेतु यथाआवश्यकता पदों का सृजन किया जायेगा। पद सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4) पुनर्निर्माण/सुधारीकरण कार्य हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) को धनराशि एशिएन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तराखण्ड इमरजेंसी एसिस्टेंस प्रोजेक्ट (UEAP) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को डी.डी.एम.ए. चम्पावत के निवर्तन पर रखा जायेगा। अध्यक्ष, डी.डी.एम.ए. द्वारा खाता खोलकर उसका संचालन किया जायेगा।
5) पूर्णागिरी ट्रैक रूट के पुनर्निर्माण/सुधारीकरण के सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की तात्कालिकता के दृष्टिगत डी.डी.एम.ए. के अधीन उपरोक्त दोनों कार्यदायी संस्थाओं के

द्वारा P.W.A. (Piece Work Agreement) अथवा वर्क चार्ज/मस्टर रौल पद्धति के आधार पर कार्य कराये जायेंगे।

6) उक्त कार्यदायी संस्थाओं को मस्टर रोल/वर्क चार्ज/पी.डब्ल्यू.ए. के माध्यम से किसी भी कार्य को करने हेतु निम्न छूट प्रदान की जायेगी:—

I. सामग्री का क्रय P.C.R. (Purchase committee) के माध्यम से करने हेतु आपूर्ति आदेश की सीमा एक बार में रू0 25.00 लाख तक होगी।

II. P.W.A. (Piece Work Agreement) की सीमा रू0 5.00 करोड़ तक होगी, एवं P.W.A के माध्यम से कार्य करने हेतु पंजीकरण की बाध्यता नहीं होगी।

III. डी.डी.एम.ए. द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिक आदि की दरें पृथक से निर्धारित की जायेगी।।

IV. सामग्री का ढुलान जिला पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गयी ढुलान दरों पर किया जायेगा।

7) उक्त पुनर्निर्माण कार्यो हेतु सामान्य निविदा प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब से बचत हेतु डी.डी.एम.ए. को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 से मुक्त रखा जायेगा।

8) डी.डी.एम.ए. के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यो के तकनीकी सम्प्रेक्षण हेतु डी.डी.एम.ए. द्वारा स्थानीय 05 सदस्यीय टी.ए.सी. का गठन किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य कंसलटेंट के रूप में होगा, जो ₹ 5.00 करोड़ तक कार्यो की टी.ए.सी. हेतु अधिकृत होंगी।

9) डिजाइन एण्ड सुपरविजन कंसलटेंट (DSC)/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (PMC) द्वारा डी.डी.एम.ए. के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यो का प्रस्ताव यू.एस.डी.एम.ए. को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें पी.आई.यू. (R&B) ए.डी.बी. सहायतित यू.ई.ए.पी. के साथ उनके अनुबन्ध के अंतर्गत आच्छादित कार्यो एवं अतिरिक्त कार्य अलग से दिखाये जायेंगे। अतिरिक्त कार्य हेतु डी.डी.एम.ए., डी.एस.सी./पी.एम.सी. के साथ एक पृथक अनुबन्ध करेगा।

10) डी.डी.एम.ए. की स्थानीय टी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत ₹ 5.00 करोड़ तक के आगणनों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति डी.डी.एम.ए. के द्वारा ही जारी की जायेगी तथा ₹ 5.00 करोड़ से अधिक के कार्यो में प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस.डी.एम.ए. के माध्यम से हाई पावर्ड कमेटी (HPC) के द्वारा जारी की जायेगी।

11) एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तराखण्ड इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोजेक्ट (UEAP) द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु लागू कार्य पद्धति डी.डी.एम.ए. पी.आई.यू. के ऊपर भी लागू होंगी।

2— उक्त शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 22 P/XXVII(5)/2016-17, दिनांक 31 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(3)

संख्या– 1332 (1) /XVIII-(2)/2016-15(15)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव